



**Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation**



CAA

ने दिया गरिमापूर्ण जीवन



सिंध, पाकिस्तान से आए प्रताड़ित शरणार्थियों की आवाज...



पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों में से अधिकतर दलित परिवारों से हैं



पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हैं उसमें से अधिकतर दलित परिवार से हैं। वहां आज भी दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है। वहां बेटियों के साथ अत्याचार होता है, जबरन शादी करके उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि उनकी आस्था, पूजा पद्धति अलग है। ऐसे शोषण के कारण ही वो भारत आए और देश के अलग-अलग कोनों में रह रहे हैं। मैं दलित राजनीति करने का दावा करने वालों से भी पूछना चाहता हूं कि आप इतने वर्षों से चुप क्यों थे, आपको इन दलितों की तकलीफ कभी क्यों नहीं दिखाई दी। आज इन दलितों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम हमारी सरकार कर रही है।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, रामलीला मैदान दिल्ली, 22 दिसम्बर 2019

अपनी गरिमा और अपने धर्म के रक्षा के लिए शरणार्थी भारत आए हैं



विभाजन के बाद हमारी कल्पना थी कि जो नागरिक यहां अल्पसंख्यक रहते हैं और जो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हैं वो सम्मान के साथ जीवन जी पाएंगे, अपने धर्म का सम्मान के साथ पालन कर पाएंगे, अपने परिवार का सम्मान से रक्षण कर पाएंगे, लेकिन दशकों बाद इसकी तरफ हम देखते हैं तो कटु सच्चाई ये सामने आई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों को सम्मान का जीवन नहीं मिला। वहां अल्पसंख्यकों की घोर प्रताड़ना हुई। पाकिस्तान और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में लगभग 20% अल्पसंख्यकों की आबादी कम हो चुकी है। आखिर कहां गए वो लोग, या तो वो मार दिए गए या धर्म परिवर्तन हो गया या वो लोग शरणार्थी बनकर अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए भारत आ गए। वे लोग जो ऐसा कह रहे हैं हम वोट बैंक की राजनीति में लिप्त हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हमने यह वादा तब किया था कि देश चुनावों के दौर में नहीं था और इस वादे को राष्ट्र की जनता द्वारा समर्थन था।

- गृहमंत्री श्री अमित शाह, राज्यसभा, 11 दिसम्बर 2019

विषय सूची

1.	प्राक्कथन	4
2.	भारतीय नेताओं के विचार	6
3.	प्रताड़ितों के प्रति हमारे कर्तव्य - महात्मा गांधी	6
	जवाहर लाल नेहरू का विस्थापितों से वादा	6
	विस्थापितों का पुनर्वास - डॉ. राजेंद्र प्रसाद	6
3.	अनुभव	7
	दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में बहिष्कृत हिन्दू - पंडित दीनदयाल उपाध्याय	7
	शरणार्थियों के लिए हमारी नीति 'नेति-नेति' - अटल बिहारी वाजपेयी	8
	नेहरू-लियाकत संधि की विफलता - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	10
	आश्रयहीन लोगों को आश्रय देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी - सुचेता कृपलानी	14
	पाकिस्तान के प्रति हम इस पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं - ठाकुर दास भार्गव	15
	पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. बी.सी. रॉय का नेहरू को पत्र : पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्याओं को झूठलाती सरकार	16
	पाकिस्तान में हिन्दुओं के खिलाफ दहशतगर्द नीति और वामपंथी नेता का विलाप - समर गुहा	17
4.	स्थिति	18
	मानवता के आधार पर दूर हो विस्थापितों की समस्याएं - कॉमरेड भूपेश गुप्ता	18
	1958 में अमृतसर में सीपीआई द्वारा अंगीकृत संकल्प	19
	कानून में संशोधन कर धार्मिक रूप से प्रताड़ितों को भारत की नागरिकता दी जाए - प्रकाश करात	20
	पाकिस्तान में आदिवासियों और कम्युनिस्ट नेताओं पर अत्याचार	20
	विस्थापितों को सम्मानपूर्वक नागरिकता दी जाए - गुलजारी लाल नंदा	21
4	शरणार्थियों से बातचीत	22

प्राक्कथन

उन शरणार्थियों को जिन्हें पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना के चलते अपना घर, अपनी गृहस्थी छोड़कर अपनी मातृभूमि भारत में शरण लेनी पड़ी, ऐसे शरणार्थियों की जिन्दगी को नागरिकता संशोधन अधिनियम ने नई उम्मीद दी है.

आजादी के बाद के दशकों से पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान (बाद में बांग्लादेश) और फिर अफगानिस्तान जैसे देशों से इन अल्पसंख्यकों को देश से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनका धार्मिक विश्वास उन देशों में रहने वाले बहुसंख्यकों के धार्मिक विश्वास के विपरीत था. स्वतंत्रता के दौरान इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को यह भरोसा दिलाया गया था कि भविष्य में यदि वे धार्मिक रूप से उत्पीड़न के चलते देश छोड़ेंगे तो भारत में उन्हें संरक्षण और आश्रय मिलेगा. ये वादे तब के कई नेताओं ने किए थे और आजादी के बाद कई अन्य नेताओं ने उन शरणार्थियों के अधिकारों की वकालत की, उनकी दुर्दशा को उजागर करते रहे लेकिन शायद ही उन नेताओं ने कभी इस मुद्दे को एक बार भी सुलझाने की कोशिश की.

इस पूरे सन्दर्भ में दिलचस्प बात यह है कि अगस्त 1966 में राज्यसभा में जन संघ के नेता निरंजन वर्मा ने तत्कालीन केन्द्रीय विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह से तीन सवाल किए.

- 1950 में भारत-पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद बने नेहरू-लियाकत संधि की वर्तमान स्थिति क्या है?
- क्या दोनों देश अभी भी संधि की शर्तों के अनुसार कार्य कर रहे हैं?
- वह कौन सा वर्ष है जब से पाकिस्तान संधि का उल्लंघन कर रहा है?

अपने जवाब में स्वर्ण सिंह ने कहा कि 1950 का नेहरू-लियाकत समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी समझौता है. इस समझौते में दोनों देश को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उनके यहां के अल्पसंख्यक अन्य लोगों (बहुसंख्यकों) के साथ समान नागरिकता की अनुभूति करें और देश के अन्य नागरिकों की तरह उपचार के उपलब्ध समान प्राप्त करें.

दूसरे प्रश्न पर स्वर्ण सिंह का जवाब था कि यद्यपि भारत में, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा को लगातार और प्रभावी रूप से सुरक्षित रखा गया है, पाकिस्तान ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की निरंतर उपेक्षा और उत्पीड़न के माध्यम से संधि के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन किया है.

तीसरे और अंतिम प्रश्न का स्वर्ण सिंह ने जो जवाब दिया वो नेहरू-लियाकत संधि की विफलता की ओर इशारा करता है. उन्होंने कहा कि, इस तरह के उल्लंघन के उदाहरण संधि की स्थापना के लगभग तुरंत बाद से सामने आने लगे. यह जवाब बिलकुल उसी तरह था जिस तरह दिसम्बर 2019 में गृहमंत्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों में अपने भाषण में व्यक्त किया था. यह बिलकुल उसी तरह था जैसे 7 अगस्त 1950 को संसद में एक बहस के दौरान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ यह साबित किया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का जीवन दुश्वार हो गया है. यह इसलिए अजीब है क्योंकि कांग्रेस में इस अधिनियम का विरोध करने वाले लोग अपने ही नेता और मंत्री द्वारा अतीत में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों को भूल गए.

1951 से जन संघ और बाद में यह भाजपा ही थी जिसने शरणार्थियों को भारत में गरिमा और समानता के साथ जीवन जीने, जिसके वे हकदार हैं, के अधिकारों का समर्थन किया. कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं ने शरणार्थियों को अपने राजनीतिक चारे के रूप में इस्तेमाल किया और शायद ही कभी उनके लिए कुछ अच्छा या भला करने का सोचा हो.

नागरिकता संशोधन अधिनियम पास कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने न केवल एक ऐतिहासिक गलती को सुधारा है बल्कि उन्होंने एक ऐतिहासिक वादा भी पूरा किया है, जिसे पूरा करने का साहस और संवेदनशीलता अतीत के किसी अन्य पार्टी के नेताओं में नहीं थी.

नागरिकता संशोधन अधिनियम का पारित होना थारत की एकता को और भी मजबूती प्रदान करेगा. यह ऐसा कार्य है, जिसका उद्देश्य नागरिकता छीनना नहीं बल्कि भारत के पड़ोस में दशकों से उत्पीड़न और भेदभाव के शिकार रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है.

शरणार्थियों की दुर्दशा उनके शब्दों में सबसे अच्छी तरह से सुनी और समझी जाती है. दोहरी मानसिकता की राजनीति कर इस नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों को उस दर्द का कोई अंदाजा नहीं है, जिससे इन लोगों (शरणार्थियों) को गुजरना पड़ा था, उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि क्यों इन लोगों को बसे हुए जीवन को त्यागकर खुद को शरणार्थियों में बदलना पड़ा. यह पुस्तिका उस कहानी को बताने का एक प्रयास है. यह केवल पूर्व में नेताओं द्वारा किए गए वादों का संकलन नहीं बल्कि उनमें से कुछ के भाषणों के माध्यम से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के जीवन का वर्णन करता है. इसमें शरणार्थियों के साक्षात्कार भी शामिल हैं (मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध से आकर दिल्ली में बसे हैं) ताकि झूठे विरोध की बयानबाजी से परे किसी सताए गए लोगों की सच्ची आवाज़ सुनने को मिले.


डॉ. अनिर्बान गांगुली

निदेशक

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

भारतीय नेताओं के विचार

प्रताड़ितों के प्रति हमारे कर्तव्य




महात्मा गांधी ने 16 जुलाई 1947 को नई दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में कहा था कि पाकिस्तान में किसी भी प्रकार से डरने वाले, चाहे उनका डर काल्पनिक हो या वास्तविक, उन्हें पाकिस्तान स्थित अपना घर छोड़ना पड़ेगा. यदि उनके दैनिक कार्यों में बाधा पहुंचाई जाती है, उनके साथ अपने ही देश में विदेशियों जैसा व्यवहार किया जाता है, तो वे वहां नहीं रह पाएंगे. इस स्थिति में हमें अपनी दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत करना होगा, उनके लिए वैद्य अवसर भी बढ़ाए जाने चाहिए, उन्हें ऐसा बिलकुल नहीं लगना चाहिए कि वे पराए देश में आए हैं.

महात्मा गांधी ने 21 जुलाई 1947 को श्री कृष्ण दास के पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि जिन्ना ने स्वयं कहा था कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिन्दू नागरिक हैं, वे मुस्लिमों के समान जीवन जीने के अधिकारी होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं कि उन्होंने अपनी बात ठीक तरह से लागू की या नहीं. जो असहाय हिन्दू भारत आना चाहते हैं उन्हें भारत में रहने की व्यवस्था की जाएगी.

स्रोत: बशाबी फ्रेसर (2008), बंगाल पार्टिशन स्टोरीज, एन अनडिसक्लोज्ड चैप्टर, लंदन, यूके, एंथेम प्रेस, इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 52

जवाहर लाल नेहरू का विस्थापितों से वादा



5 नवंबर 1950 को संसद में बोलते हुए जवाहर लाल नेहरू ने विस्थापितों के संबंध में कहा था कि, 'माननीय सदस्य ने नागरिकता के प्रश्न का उल्लेख किया. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग भारत बसने आए हैं, वे विस्थापित हैं. उन्हें नागरिकता देने के लिए हम बाध्य हैं. इस विषय में अगर उपयुक्त कानून नहीं है तो कानून को भी बदला जाना चाहिए.

स्रोत: मिनिस्ट्री ऑफ इन्फोर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग, जवाहरलाल नेहरू सेलेक्टेड स्पीचेस, वॉल्यूम 2, 1949-53, सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली, पब्लिकेशन डिविजन, इंडिया बिकम्स रिपब्लिक, रिप्यूजी एंड अदर प्रॉब्लम्स

विस्थापितों का पुनर्वास



उन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वसन के लिए हम व्यग्र हैं, जिन्होंने काफी कठिनाइयां झेली हैं. वे लोग जब भी भारत आए उनका स्वागत है.

(राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए, 26 जनवरी 1950)

अनुभव

दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में बहिष्कृत हिन्दू

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय



एक धारा यह कि कोई भी नवीन अधिनियम कुरान और सुन्नाह की शास्त्रीय आज्ञाओं के विपरीत नहीं बनाया जा सकेगा एवं पारित अधिनियमों को भी तद्रूप प्रदान किया जायेगा. विधेयक में मुस्लिम व गैर-मुस्लिम का भेद रखा गया है, जिसके अनुसार कोई गैर-मुस्लिम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता. पाकिस्तान में इस्लामी आदर्श व आचार-पद्धति नेताओं तथा सरकार पर भी लागू होगी.

(ऑर्गनाइजर, 30 जनवरी, 1956)

(स्रोत: दीनदयाल उपाध्याय, संपूर्ण वांग्मय, खंड चार, पेज नंबर 15)

जहां तक हिन्दुओं का संबंध है, उन्हें द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के रूप में बहिष्कृत किया गया है. उनका वहां सम्मान तथा स्वाभिमान से रहना असंभव है. एक करोड़ से अधिक हिन्दू पहले ही वहां से स्थानांतरित हो चुके हैं और यह अब भी जारी है. 20 हजार से अधिक प्रतिमास आज भी सीमा पार आ रहे हैं. यदि पाकिस्तान का संविधान सन् 1956 ('इस देश की सम्प्रभुता अल्लाह में निहित है') के साथ ही इस्लाम को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया.) पारित हो जाता है तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा.

हम समझते हैं कि भारत सरकार इन अवैधानिक धाराओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देगी. यह पाकिस्तान का निजी प्रश्न है, यह कहकर हम इसे दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते. पाकिस्तान में हिन्दुओं की दशा से हमारा अतिनिकट संबंध है. हमारा कर्तव्य न केवल इतना है कि पूर्वी बंगाल में रहने वाले हिन्दुओं के अधिकारों का रक्षण करें, वरन यह भी कि हम उनके हृदय में अरक्षा का भाव उत्पन्न न होने दें. किसी भी प्रकार के परिवर्तन के कारण उनको अपने घर द्वार छोड़ भारत आने को बाध्य होना पड़ता है. शरणार्थियों के इस सतत आगमन के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है तथा देश की शान्ति को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है. ध्यान रहे कि हम दक्षिण-अफ्रीका के जातीय प्रभेद प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जा चुके हैं. लंकावासी भारतीयों को नागरिकता के अधिकार दिलाने का असफल प्रयास भी कर रहे हैं, अतः हम पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं को उनके भाग्याधीन नहीं छोड़ सकते.

(पाञ्चजन्य, 23 जनवरी 1956)

(स्रोत: दीनदयाल उपाध्याय, संपूर्ण वांग्मय, खंड चार, पेज नंबर 16)

शरणार्थियों के लिए हमारी नीति 'नेति-नेति'

- श्री अटल बिहारी वाजपेयी



वेदों में भगवान को "नेति, नेति" के रूप में वर्णित किया गया है - 'यह नहीं, वह नहीं'. ईश्वर यह नहीं है, ईश्वर वह नहीं है. ये शब्द, नेति, नेति (नहीं, नहीं) बहुत अच्छी तरह से कश्मीर, गोवा और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की समस्या के संबंध में सरकार की नीतियों का वर्णन करते हैं. क्या कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा हथियारों के बल पर आजाद होगा? नहीं नहीं. क्या हम इसे पाकिस्तान को उपहार में देंगे? नहीं नहीं. फिर हम क्या करेंगे?

क्या हम गोवा में पुलिस कार्रवाई करेंगे? नहीं नहीं. फिर क्या हम लोगों को सत्याग्रह की अनुमति देंगे? नहीं नहीं. फिर क्या हम गोवा को पुर्तगालियों की दया पर छोड़ देंगे? नहीं नहीं. यह स्थिति बिल्कुल उन हिंदुओं के साथ है, जिन्हें पूर्वी बंगाल से निकाला जा रहा है. हम विभाजन के समय हुए समझौते को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए तैयार नहीं हैं कि भारत में मुसलमानों के समान ही पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए. यह विभाजन का आधार था और यदि पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं करता है तो हमें अन्य उपायों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम न तो पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए तैयार हैं कि वह हिंदु शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अलग क्षेत्र की वकालत करे. हमारी नीति क्या है? इसे केवल 'नेति, नेति' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है.

(स्रोत: - अटल बिहारी वाजपेयी - फोर डिक्लेइस ऑफ़ पार्लियामेंट - संपादन: एन. एम घताते - नेशनल इश्यूज- दी ट्विन डेंजर- लोकसभा में 15 मई, 1957 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान. पृष्ठ 1-2)

पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं को निकाला जा रहा है

पूरे देश और सदन का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं पर केंद्रित है. यह कहने के अलावा कि उन्हें फिर से बसाया जाएगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस संबंध में किसी नीति के संकेत नहीं हैं.

विभाजन के समय हमने पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं को आश्वासन दिया था कि हम उनके जीवन, संपत्ति और सम्मान की रक्षा के लिए कभी भी उदासीन नहीं होंगे. अब उस आश्वासन पर खरा उतरने का समय आ गया है. 1950 में जब पूर्वी पाकिस्तान में दंगे हुए थे, उस समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से तब इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नेहरू-लियाकत संधि हिंदुओं की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगी.

उनकी भविष्यवाणी सच हो गई है, लेकिन आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में पश्चिम बंगाल का कोई भी मंत्री नहीं है जो अपनी कुर्सी छोड़ दे और सरकार को अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर करे. सरदार पटेल जैसा कोई केंद्रीय मंत्री भी नहीं है, जो कहे कि अगर पाकिस्तान अपने पूर्वी हिस्से में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता है तो उसे फिर से संगठित करने के लिए क्षेत्र को रेखांकित करना होगा. प्रधानमंत्री नेहरू ने उस समय भी घोषणा की थी कि अगर पाकिस्तान ने नहीं सुना तो अन्य तरीके अपनाए जाएंगे. आज प्रधानमंत्री ऐसी घोषणा करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं का क्या होगा?

मरने, धर्म छोड़ने या शरणार्थियों के रूप में भारत माता की शरण में आने के अलावा उनके पास कोई विकल्प

नहीं है, लेकिन यहां तक कि उनके लिए देश में आने के दरवाजे भी बंद है. उन्हें सप्ताह में केवल दो दिन प्रवेश से जुड़े प्रमाण पत्र दिए जाते हैं. राजशाही में हमारे कार्यालय को भी बंद कर दिया गया है. प्रवास से जुड़े प्रमाण पत्र के लिए क्या अब शरणार्थी ढाका जाएंगे? उनकी सुरक्षा की देखभाल कौन करेगा? जो लोग भारत में आना चाहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. उन्हें गोली मारी जा रही है. कल रात मुझे त्रिपुरा से एक तार प्राप्त हुआ. आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ना चाहूंगा.

“एक लाख शरणार्थी रोज़ाना हजारों की तादाद में आते हैं. 6 तारीख की शाम को पाकिस्तान पुलिस ने सीमा पर तीन तरफ से चार हज़ार शरणार्थियों पर गोलीबारी की. सैकड़ों लोग मारे गए. कई अस्पताल में घायल हैं. पाकिस्तान में हज़ारों लोग फंसे हुए हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है.”

नेहरू-लियाकत समझौते के तहत यह प्रावधान किया गया था कि उन्हें सुरक्षित रूप से भारत ले आया जाएगा. यदि पाकिस्तान समझौते का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हमें अपने सशस्त्र बलों को उन हिंदुओं की रक्षा हेतु भेजने के लिए तैयार रहना चाहिए जो भारत में आना चाहते हैं. हम उन्हें पाकिस्तान में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते.

यह कहना सही नहीं है जैसा श्री टी. टी. कृष्णमचारी ने कहा कि उनके प्रति हमारी केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, न कि एक संवैधानिक और कानूनी. हम उन्हें दिए गए आश्वासनों से बंधे हैं. वे राजनीतिक और ऐतिहासिक आश्वासन हैं. देश का विभाजन इस आधार पर किया गया था कि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के साथ न्याय होगा. हमने उस आश्वासन का पालन किया है. पाकिस्तान ने नहीं. एक तरह से पाकिस्तान की स्थापना का पूरा आधार शून्य है.

शरणार्थियों को शरण दें

हमने पारसियों को शरण दी जो पवित्रता के साथ हमारी भूमि पर आए थे. इस देश में तिब्बत के शरणार्थी रह रहे हैं. क्या पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए हमारे दिल में इतनी मानवता भी नहीं है? हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? यह कहा जाता है, हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज जो हम कर सकते हैं, वह यह है कि जो कोई भी यहाँ आकर स्वयं अपनी व्यवस्था कर बसना चाहता है उसे अनुमति देनी चाहिए. आज भी पुराने शरणार्थी सियालदह की सड़कों पर पड़े हुए हैं. यहां तक कि उनका पुनर्वास भी नहीं किया जा सका. यदि आवश्यक हो तो वित्त मंत्री नए बजट में पुनर्वास की नीति को शामिल कर सकते हैं. देश में कोई भी इन प्रताड़ित भाईयों के पुनर्वास के लिए योगदान देने में संकोच नहीं करेगा.

इस मामले में प्रशासन का रवैया बदलना चाहिए. चिंता का एक गंभीर कारण यह है कि पूर्वी पाकिस्तान के दंगों की कलकत्ता में भी प्रतिक्रिया है. कलकत्ता में भी स्थिति बिगड़ी. यह सब नहीं होना चाहिए था. हमें पाकिस्तान के नक्शेकदम पर नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर कलकत्ता पुलिस और कुछ पाकिस्तानियों ने संयम बरता होता तो इस रक्तपात से बचा जा सकता था. कलकत्ता में दंगों की शुरुआत छात्रों के जुलूस से हुई. यह एक शांतिपूर्ण जुलूस था और शहर में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस पर सोडा वाटर की बोटलों से हमला किया गया. तीन छात्रों को चाकू मार दिया गया और पुलिस ने दीनबंधु एंड्रयूज कॉलेज में घुसकर एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद दंगों का सिलसिला शुरू हो गया.

नेताओं को पूर्वी पाकिस्तान जाने दें

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ नेताओं को पूर्वी पाकिस्तान जाना चाहिए. परेशानी यह है कि यह सरकार न तो सरदार पटेल से बात कर सकती है और न ही गांधीजी के नक्शेकदम पर चल सकती है. शांति और अहिंसा के प्रचारक ढाका और खुलना क्यों नहीं जाते और वहां के हिंदुओं की स्थिति को अपनी आँखों से क्यों नहीं देखते हैं? प्रो. हुमायूँ कबीर जा सकते हैं. जनरल शाह नवाज खान जा सकते हैं, श्री फखरुद्दीन अहमद जा सकते हैं और पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों से कह सकते हैं-यदि आप पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, तो हम भारत में मुसलमानों के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं?

लेकिन गांधीजी की शपथ लेने वाले गांधीजी के कदमों पर चलने को तैयार नहीं हैं. पूर्वी पाकिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है? डॉ. सुशीला नायर वहां क्यों नहीं जातीं, राज्यपाल पद्मजा नायडू क्यों नहीं? श्रीमती इंदिरा गांधी वहां जाने के लिए थोड़ा समय निकाल सकती हैं क्या?

श्री जोसेफ मैथैनी (केरल): आप भी क्यों नहीं जाते?

श्री वाजपेयी: मैं जाने के लिए तैयार हूँ अगर कोई आने को तैयार हो, लेकिन हमारे महासचिव पश्चिम बंगाल से निर्वासित कर दिए गए हैं. पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमति कौन देगा? आइए हम अनौपचारिक स्तर पर इसके लिए प्रयास करें और गंभीरता से इस समस्या को हल करने का प्रयास करें.

(स्रोत: - अटल बिहारी वाजपेयी – फोर डीकेड्स ऑफ़ पार्लियामेंट- संपादन: एन.एम घताते- राष्ट्रीय मुद्दे - देश का भविष्य खतरे में नहीं होना चाहिए – राज्यसभा 13 फ़रवरी, 1964 उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान. पृष्ठ संख्या 21-25)


नेहरू-लियाकत संधि की विफलता

- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

कांग्रेस नेताओं ने नेहरू-लियाकत संघ की विफलता को स्वीकार किया है

“कल दोपहर में पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं के पलायन करने के बाद बंगाल की स्थितियों को लेकर कांग्रेस पार्टी बैठक करेगी और उसे लेकर सोमवार को संसद में चर्चा होगी. साथी सदस्यों ने इस विषय पर अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई है कि नेहरू लियाकत संधि अपने उद्देश्य में विफल रहा है. पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के पलायन का विषय हो अथवा पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना, जितने भी प्रमाण मिल रहे हैं वे सभी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां के अल्पसंख्यक हिन्दू तब तक सम्मानपूर्वक नहीं रह सकते जब तक पाकिस्तान एक राज्य के रूप में अपनी इस्लामी अवधारणा को नहीं बदल देता. हम यह महसूस कर रहे हैं कि उक्त संधि में वास्तविक तथ्यों के आधार पर संशोधन की आवश्यकता है. क्योंकि जिस उम्मीद पर यह संधि हुई थी, उसपर हमने भरोसा जताया लेकिन ये पूरा नहीं हुआ.”

(स्रोत: 'Hindu Exodus from East Bengal – Congress M.P.s' Deep Concern', The Sunday Statesman, Sunday, August 6, 1950)



समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था?

“मैं पूरी गंभीरता और विनम्रता के साथ पूछता हूँ कि संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? (नेहरू-लियाकत संधि) क्या इस समझौते का मुख्य उद्देश्य यह नहीं था कि हिंदू बिना भय के सुरक्षित रूप से पूर्वी बंगाल में रह सकें, वहाँ कोई पलायन नहीं होगा और जो लोग चले गए थे, समझौते के अनुसार वे अपने घर वापस आ सकते हैं? क्या यह संधि का उद्देश्य नहीं था कि अल्पसंख्यकों के मन में खुद के प्रति सुरक्षा की भावना हो ताकि वे बिना किसी भय के अपने जीवन का निर्णय स्वयं कर सकें? अगर इस दृष्टिकोण से निर्णय लेना हो तो निश्चित रूप में यह समझौता विफल हो गया है. पलायन जारी है, अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की तीव्र भावना जारी है.... यह केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, यह कई नेताओं का कहना है, इस संधि का मुख्य परीक्षण यही होगा कि क्या पूर्वी बंगाल में सुरक्षा की स्थिति बन रही है, जिससे हिंदू अपनी स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सकें.”

समझौते के बाद अत्याचार में बढ़ोत्तरी

जब से इस संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं उसके बाद जो घटनाएं पूर्वी बंगाल में हुई हैं, उनमें से मुझे 8 अप्रैल (जब नेहरू-लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे) से 30 जून 1950 तक के कुछ सारांश प्राप्त हुए हैं. मैं जुलाई महीने में हुई घटनाओं का पूरा संकलन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कुछ घटनाओं के ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिखित प्रमाण हमें मिले हैं जो या तो स्वयं पीड़ित हैं या पीड़ित परिवारों से संबंधित हैं. मैं केवल इस सूची का सारांश पढ़ूंगा. संधि की तारीख से 30 जून 1950 के बीच डकैती, लूट और चोरी के 757 मामले, 219 जबर्न वसूली के मामले, 194 अतिक्रमण के मामले, 180 मामले मारपीट, उत्पीड़न और पाकिस्तान छोड़ने की धमकी के हैं, अपहरण, बलात्कार के 129 मामले सामने आए हैं. हत्या के 70 मामले, छुरा घोंपकर और लूटपाट के 70 मामले, आगजनी के 67 मामले, गलत तरीके से कारावास के 21 मामले, हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने के 39 मामले और अवैध रूप कब्जा करने के 72 मामले हैं, लेकिन सर! क्या यह एक संपूर्ण सूची है? यह केवल उन घटनाओं की एक

उदाहरण सूची है जो पूर्वी बंगाल में 30 जून 1950 तक घटित हुई हैं, और पूर्वी बंगाल की लगभग पूरे हिस्से में ऐसा हो रहा है. इनमें से हर एक मामले में मुझे यह जोड़ना चाहिए कि अल्पसंख्यक यानी हिंदू पीड़ित हैं और उत्पीड़क बहुसंख्यक समुदाय का सदस्य है. संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक संरचना जहाँ हिंदू रहते थे, वह जगह ढह गए हैं और उनके लिए वहाँ रहना असंभव है...”



शरणार्थियों की समस्याओं को सुनते डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

हिन्दुओं पर आघात की तरह साबित हुआ नेहरू-लियाकत समझौता

“... उस प्रस्ताव को देखें जो अब पूर्वी बंगाल में रहने वाले हिंदुओं ने मयमनसिंह में पारित किया था. मैं इसे विस्तार से नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि यह 7 या 8 पृष्ठों का है. प्रधानमंत्री जी के पास इसकी एक प्रति है. इसमें क्या है? इसमें है कि यदि वर्तमान स्थितियां नहीं बदली तो किसी भी हिंदू के लिए वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा ...

“इस कन्वेंशन को इस बात पर खेद है कि नेहरू-लियाकत समझौते के बावजूद अपने मूल घरों में लौटे प्रवासियों के पुनर्वास के संबंध में अधिकारियों से कोई मदद नहीं मिल रही है और वे दयनीय, दर्दनाक परिस्थितियों में बिना किसी आश्रय और जीविका के जीने को मजबूर हैं. उनके स्वयं के घर भारत से आए मुस्लिम शरणार्थियों के कब्जे में हैं और उनकी कृषि योग्य भूमि भी मुस्लिम शरणार्थियों को वितरित कर दी गई है. जिला अल्पसंख्यक बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों का प्रयास अब तक बेकार रहा है, और सरकार (पूर्वी पाकिस्तान) के उदासीन रवैये के कारण वापस आए लोगों को भारी कठिनाई हो रही है...”

दुनिया के इतिहास में ऐसा उद्वहरण नहीं मिलेगा

“अपने दौरों के दौरान अक्सर मैंने देखा है कि लोग मेरे पैरों पर गिरते हैं और कहते हैं, “हमने जो कुछ भी झेला है, वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं. यही एकमात्र अपराध हमने किया है. अगर हम अपना धर्म छोड़ देते तो हमपर इस तरीके से अत्याचार नहीं होता.” मुझे नहीं लगता कि दुनिया के इतिहास में इस तरह का कोई दूसरा रिकॉर्ड दर्ज होगा, जिसमें लाखों शिक्षित अथवा अशिक्षित, लाखों शिक्षित और अशिक्षित लोग, अपनी मातृभूमि से इसलिए बाहर निकाल दिए गए थे, सिर्फ इसलिए वे अपने धर्म से प्यार करते थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सरकार से सुरक्षा नहीं मिली, जिसे वे पाने के हकदार हैं.”

बेइज्जती भरी मौत और बिना बेइज्जती की मौत

“पंडित जी (जवाहर लाल नेहरू) को जानने वाले एक प्रमुख कांग्रेसी व्यक्ति, जो अपने जीवन भर किसी से डरा नहीं, वह कायर भी नहीं है और अभी भी वो पूर्वी बंगाल में है. करीब तीन हफ्ते पहले वो शख्स मुझसे मिलने आया था और उसके कहे शब्द मुझे आज भी चिंतित किए हैं. वह पश्चिम बंगाल गया और वहां से होते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां लाखों शरणार्थियों ने दुःख देखा था जो पूर्वी बंगाल से होकर पश्चिम बंगाल आए थे. पूर्वी बंगाल में हजारों “नामशुद्र” जातियां हैं जो भारत आने का इंतजार कर रही हैं.” उस शख्स ने मुझसे कहा - ‘अगर मैं यहां से चला गया तो वे भी हमसे दूर हो जाएंगे. यही कारण है कि मैं वहां पर रुका हुआ हूँ, हालांकि मुझे पता है कि उन शरणार्थियों के लिए वहां रहना असंभव है. मुझे सिवाय मृत्यु के दोनों ओर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. पूर्वी बंगाल में भी मृत्यु और पश्चिम बंगाल में भी मृत्यु, इन दोनों में सिर्फ एक बात का अंतर है कि पश्चिम बंगाल की मौत बिना बेइज्जत हुए और पूर्वी बंगाल की मौत में बेइज्जत होकर मिलेगी.’



पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के एक शरणार्थी शिविर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

हर दिन शरणार्थियों की मौत

यदि आप पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की स्थितियों को देखते हैं, यदि आप सियालदह या शिविरों में जाते हैं, तो आपको एहसास होगा कि पुनर्वास (शरणार्थी शिविर) कहाँ गायब हो गया है। यदि आप शरणार्थियों की स्थिति और उनके कष्टों को देखते हैं तो आप को आश्चर्य होगा कि वे इस राज्य में कैसे रह रहे होंगे। मक्खियों की तरह छोटे-छोटे बच्चे मर रहे हैं। मैंने माताओं की गोद में मृत बच्चों को देखा है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के पास धुबुलिया (जहाँ पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों के लिए शिविर लगाए गए थे) वहाँ हमसे एक महिला मिली और उसने कहा कि “मेरी गोद में जो यह बच्चा मरा पड़ा है, यह पहला बच्चा नहीं है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है।” आप अखबारों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे लोग सियालदह प्लेटफॉर्म पर हर दिन मर रहे हैं। लोग भोजन, कपड़े और आश्रय की जरूरत पूरी न होने पर मर रहे हैं। क्या किसी सरकार के लिए यह गर्व की बात हो सकती है?

शरणार्थियों ने क्या अपराध किया है?

“शरणार्थियों की ऐसी भयानक स्थिति है कि कोई वहाँ 10 मिनट भी नहीं टिक सकता है। जब हम सियालदह में 15,000 लोगों का प्रबंधन नहीं कर सकते तो हम एक करोड़ लोगों का पुनर्वास कैसे करेंगे? आप शिविरों में जाइए और मृत्यु दर को देखिए, मुझे अधिकृत सूचना है कि यहाँ 50 प्रतिशत बच्चे मर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे बच्चों को देखा है जो बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं दिखते हैं। वे पूरी तरह से कुपोषित और बेहद दुर्बल दिखते हैं। कई लोग सामने से आकर पूछते और आरोप लगाते हैं कि “हमने क्या अपराध किया है कि हमें इस तरह से पीड़ित होना पड़ता है?”

तीस फीसदी लोग शायद नहीं बच सकते हैं। वे लोग मौत के मंडराते साए के बीच हैं। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है और न ही करने के लिए कोई काम है। वे लोग इस तरह से चुपचाप बैठे नहीं रह सकते हैं और यह कितना आश्चर्यजनक है कि इतना कष्ट झेलने के बाद भी आंखों में आंसू लेकर वंदेमातरम् बोलते हैं।

(स्रोत: बंगाल की स्थिति पर संसद में चर्चा, 7 अगस्त, 1950)



काकद्वीप में शरणार्थियों से मिलने पहुंचे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

आश्रयहीन लोगों को आश्रय देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी - सुचेता कृपलानी



पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट हॉल में शरणार्थियों की समस्या को लेकर बैठक को संबोधित करती सुचेता कृपलानी, मंचस्थ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (बाएं से प्रथम)

“कुछ दिनों पहले पाकिस्तान विधानमंडल के कुछ सदस्यों (पूर्वी पाकिस्तान के हिंदू सदस्यों) से दिल्ली में मिलना हुआ था. उन्होंने मुझे बताया कि नोआखली में लगभग वैसे ही दृश्य देखने को मिले, जो खुलना और अन्य स्थानों पर देखने को मिला. अब वे लोग (बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिन्दुओं) कहां जाएंगे? हम उन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते. वे भारत के नागरिक थे. उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें भारत की सीमा से दूर छोड़ दिया गया है. हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी व्यवस्थित नीति का पालन कर रहा है जिसके द्वारा हिन्दुओं को धीरे-धीरे देश से बाहर निकाल दिया गया है. अगर पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं को भी बाहर निकाला गया तो उन्हें कहीं न कहीं शरण लेनी पड़ेगी. हम इस विषय पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते. हमें उन आश्रयहीन लोगों को आश्रय देना होगा. यह हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है...”

(भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कांग्रेस सांसद (1957-1962), मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश (1963-1967), भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री)

(स्रोत: संसदीय बहस, संसद में 08 फरवरी, 1950)

पाकिस्तान के प्रति हम इस पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं

- ठाकुर दास भार्गव



(सदस्य, संविधान सभा 1947-50, कांग्रेस सांसद- हिसार 1952-57)

जहां तक इस एड्रेस में एक्सटर्नल पॉलिसी (External Policy) का ताल्लुक है, मुझे कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं है कि हाउस में मुख्तलिफ ओपिनियन (Opinion) नहीं होगी, लेकिन ताहम जो कुछ पाकिस्तान के मुताल्लिक पॉलिसी(Policy) बरती जा रही है, उस के मुताल्लिक मैं जनाबवाला की खिदमत और गवर्नमेंट की खिदमत में अर्ज करूंगा कि हिंदुस्तान इस पॉलिसी से मुतमैयन नहीं है. गवर्नमेंट के पास वजूहात हो सकती है इस पॉलिसी की, लेकिन यह साफ़ है कि जो पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ बरती जा रही है वह जरूरत से ज्यादा शरीफाना है.

आज ईस्ट बंगाल (East Bengal) से आवाज आती है कि दस हजार हिन्दू एकदम वहां से निकाल दिए गए हैं. मैं नहीं जानता कि एक करोड़ हिन्दू किस तरह ईस्ट बंगाल में अपना गुजारा कर सकेंगे. ऐसी सूरत में हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए यह सीधा सवाल है. कुछ दिन पहले सरदार पटेल ने एक चीज़ का जिक्र किया था कि अगर हिन्दू इधर भेजे जाएंगे तो एक इलाका उनके रहने के वास्ते चाहिए. यह जो आदमी रोज बरोज ईस्ट बंगाल से आते हैं, इनके रहने की सबील हम क्यों कर सकते हैं. मैं इस वक़्त पाकिस्तान की दीगर बातों की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कौन सा ऐसा दिन है कि जब हमारे मिनिस्टर एक न एक बिद्वत पाकिस्तान की हमारे सामने पेश नहीं करते. अभी हमें बताया गया कि साढ़े चार लाख मुसलमान असम के अन्दर ईस्ट बंगाल से आ गए हैं, हजारों रेल गाड़ियां पाकिस्तान में रह गई हैं. हम रोज इस तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं देखता और हमारी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के साथ जरूरत से ज्यादा शरीफाना पॉलिसी बरत रही है उससे मैं मुतमैयन नहीं हूं. यह मेरी अकेली आवाज नहीं है. हम हर रोज हर एक चीज़ में यह देखते हैं. पाकिस्तान में से एक एक हिन्दू को रिहैबिलिटेशन (Rehabilitation) के बहाने उजाड़कर इस देश के अन्दर भेज दिया है और हमारी पॉलिसी इस तरह की है कि यहां ऑर्डिनेंस (Ordinance) पास होने के बाद भी लाखों और करोड़ों रुपया हमारे देश का पाकिस्तान जा रहा है. हम इस पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं.

(स्रोत: संसदीय बहस, संसद में 02 फरवरी, 1950 प्रश्नोत्तर, आधिकारिक रिपोर्ट, खंड-1, पेज नंबर 105)

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. बी.सी. रॉय का नेहरू को पत्र :
पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्याओं को झुठलाती सरकार



बंगाल की सीमा रेखा के पास निरीक्षण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (दाएं से तीसरे), डॉ. बी.सी. रॉय (दाएं से चौथे), डॉ. मोहन लाल सक्सेना (केंद्रीय मंत्री, राहत एवं पुनर्वास)

आप इस भ्रम में हैं कि आपकी सरकार ने हमें 'राहत और पुनर्वास' के लिए बहुत बड़ी राशि दी है. क्या आपको पता है कि आपकी सरकार ने इस 'राहत और पुनर्वास' के लिए दो साल 1948-49 और 1949-50 के लिए तीन करोड़ से थोड़ा ज्यादा और 5 करोड़ रुपए कर्ज की मद में दिया है. क्या आपको पता है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए खर्च की राशि की तुलना में आप द्वारा दी गई राशि कुछ भी नहीं है. कई महीनों तक भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के अस्तित्व को ही झुठलाती रही है और इसलिए उनके खातों की जिम्मेदारी लेने से भारत सरकार इनकार कर देगी.

स्रोत: डॉ. बी.सी. रॉय का नेहरू को पत्र, 1 दिसम्बर 1949 (प्रफुल्ल चक्रवर्ती की पुस्तक द मार्जिनल मैन: द रिपयुजिस एंड द लेफ्ट पॉलिटिकल सिंड्रोम इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता, 1999)

पाकिस्तान में हिन्दुओं के खिलाफ दहशतगर्द नीति और वामपंथी नेता का विलाप

- समर गुहा



(प्रो. समर गुहा, पूर्वी बंगाल अल्पसंख्यक संघ के सचिव, पाकिस्तान फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी सहयोगी, विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में रहे और डेका जेल में कैद रहे, 1951 में पश्चिम बंगाल आए. पश्चिम बंगाल फॉरवर्ड ब्लॉक के सचिव, पश्चिम बंगाल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सचिव और बाद में अध्यक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय समिति के सदस्य, जय प्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के साथ निकटता से जुड़े, 1977 में जनता पार्टी के सांसद बने, जनता दल (एस) के नेता, स्रोत-लोकसभा वेबसाइट)

बांग्लादेश बनने के अगले वर्ष में ही सरकार की नीति हिन्दुओं के खिलाफ स्पष्ट रूप से प्रगट हुई. पूर्वी बंगाल की पुलिस गैर-हिन्दुओं के खिलाफ दमनकारी रवैया अपनाने लगी. गैर-मुस्लिमों (हिन्दुओं) के घरों की तलाशी शुरू होने लगी और बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां होने लगीं. अल्पसंख्यकों के मन में आतंक पैदा करने के लिए पूर्वी बंगाल की पुलिस सड़कों पर मार्च निकालने लगी. उसके बाद मुस्लिमों की भीड़ गैर-मुस्लिमों पर हमलावर हो गई. सारे पत्रकार गैर-मुस्लिमों के खिलाफ अपने समाचार पत्रों में “विध्वंसक” “शत्रुओं के एजेंट” जैसी उपाधि देने लगे.


इस तरह बांग्लादेश बनने के साल भर के भीतर पुलिस, पत्रकार और सरकार की नीतियों और बहुसंख्यक मुस्लिमों के चलते शहर और ग्रामीण में रहने वाले गैर-मुस्लिमों का जीवन नरक बन गया था. इन सभी लोगों ने मिलकर भ्रामक प्रचार किया कि वहां रहने वाले गैर-मुस्लिम भारत का ‘पांचवां स्तंभ’ है. जिन पंचायतों अथवा स्थानीय निकायों में हिन्दुओं की संख्या ज्यादा थी, उसे निलंबित कर के सरकार ने अपना नियंत्रण बना लिया.

(स्रोत: नॉन मुस्लिम बिहाइंड द कर्टेन इन पाकिस्तान पुस्तक)

स्थिति

मानवता के आधार पर दूर हो विस्थापितों की समस्याएं

- कॉमरेड भूपेश गुप्ता



4 मार्च 1964 को राज्यसभा में सीपीआई के सांसद भूपेश गुप्ता ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को हमने वचन दिया है. नेहरू-लियाकत समझौते के अलावा अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं. इस संबंध में हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते हैं. इस दायित्व को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण, गौरवपूर्ण, सभ्य और मानवीय दृष्टि से नीति की आवश्यकता है.

किसी राजनीतिक मकसद से नहीं बल्कि भय और हिंसा के कारण प्रताड़ित लोग भारत आ रहे हैं

इसके अलावा 27 जुलाई 1970 को राज्यसभा में भूपेश गुप्ता ने कहा था कि बांग्लादेश से प्रताड़ित लोग भारत में किसी राजनीतिक मकसद से नहीं आ रहे हैं. वे किसी पार्टी का समर्थन या किसी का विरोध करने नहीं आ रहे हैं. वे लोग सिर्फ भय और हिंसा से सताए जाने के कारण अपने देश (भारत) आ रहे हैं. वे अपना जीवन बचाने के लिए आ रहे हैं. हमें चाहिए कि हम उनके साथ अपने भाई-बहन के समान व्यवहार करें. उनकी समस्याओं को मानवता के आधार पर दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए.

क्यों तोड़ा गया आश्वासन

हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित सांसदों में से एक गुप्ता ने 3 दिसम्बर, 1974 को राज्यसभा में कहा -

‘महोदय, देश के विभाजन के 27 साल हो गये हैं. यदि आप उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भाषणों को याद करें, जिसमें विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं, तो पता चलेगा कि उस समय कैसे उन्होंने अपने भाषणों में देश के विभाजन से पहले भी स्पष्ट आश्वासन दिया था, कि वे विभाजन के परिणामों से पूरी तरह से निपटेंगे और वे विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान में चले गये बंगाल के उस हिस्से के विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्व्यवस्था और पुनर्वास के लिए सरकार के रूप में अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे. यह एक गंभीर आश्वासन था जो न केवल बाहर या प्रेस बयानों में, बल्कि भारत सरकार के कई आधिकारिक बयानों में भी दोहराया गया था. और यदि मुझे याद है, उस समय प्रावैधानिक संसद में भी यह मामला सामने आया था और वही आश्वासन दोहराये गये थे. लेकिन दुर्भाग्य से आज 27 साल बाद जहाँ पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने एक बड़ी समस्या, अपने स्वयं के प्रभुत्व का अधिकार और अपने देश के अधिकार, राष्ट्रीय अधिकार का दावा करने की समस्या, का समाधान किया है, वहीं हम भारत में कई वर्षों से और इतनी सारी बातों के बाद भी पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की समस्या को पाते हैं क्योंकि यह काफी हद तक अनसुलझा है. महोदय, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्र को स्पष्टीकरण दे कि आश्वासनों को क्यों तोड़ा गया और वे कैसे टूट गये और इसके लिए कौन जिम्मेदार थे. न केवल अनकही मानव पीड़ा, कठिनाई और तबाही की समस्या को हल करने के लिए, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से भारत के उस हिस्से जहाँ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने शरणार्थियों के रूप में, उचित तरीके से आश्रय

दिये बिना शरण ली है, की अर्थव्यवस्था के लिए भी संसद को देर से सही, इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए।’

‘अत्यधिक धर्मनिरपेक्ष’ नेता गुप्ता ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को भी स्वीकार किया. हमारे कम्युनिस्ट नेता इन ऐतिहासिक तथ्यों को कैसे भूल गये हैं? अब सवाल उठता है कि वादे क्या हैं? वादे किसने और किसको दिये?

स्रोत: व्हाइट पेपर ऑन सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 (श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली)

1958 में अमृतसर में सीपीआई द्वारा अंगीकृत संकल्प

“भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में उन सख्त दमनकारी उपायों पर गंभीर चिंता जतायी जो पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के पुनर्वास की जायज मांगों को दबाने और सरकार की बदनाम जनविरोधी पुनर्वास नीति के अधीन लाने के लिए उन्हें आतंकित करने के लिए हाल ही में शुरू किया है. यह कार्रवाई अपने-आप में इस नीति की सबसे बड़ी निंदा है. पूर्वी बंगाल से आये 40 लाख विस्थापितों में से अधिकांश का पुनर्वास नहीं हुआ है और इन दुर्भाग्यशाली पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की बेहिसाब यातना और पीड़ा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. उनकी स्थिति सभी की गहरी सहानुभूति को उत्पन्न कर सकती है और उनकी समस्या अत्यंत मानवीय होने के साथ-साथ राष्ट्रीय भी है.

फिर भी ये शरणार्थी आज अक्सर सरकार के हाथों आँसू गैस और लाठी चार्ज, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और कैद के शिकार हो रहे हैं. उनके संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ उनकी मांगों को उठाने वाले कम्युनिस्टों और अन्य वामपंथी दलों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है. उनमें से कई को पहले ही एहतियाती निरोधक अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है. असाधारण सम्मेलन इस दमन की निंदा करता है और पूरे देश से इसके विरोध में अपनी शक्तिशाली आवाज उठाने की अपील करता है.

शरणार्थियों की उचित मांगों के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति व्यक्त करते हुए, सम्मेलन ने सरकार से पूर्वी बंगाल से विस्थापितों के प्रति अपना वर्तमान रवैया और नीति बदलने और उनकी उचित मांगों को स्वीकार करने का आह्वान किया. यह उन सभी लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग करता है जिन्हें शरणार्थियों के आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है.

‘इस सम्मेलन में सरकार से शरणार्थियों को स्वीकार्य और उनमें विश्वास भरने के लिए एक सही पुनर्वास नीति पर काम करने के उद्देश्य से पुनर्वास के अत्यावश्यक प्रश्न पर चर्चा करने के लिए शरणार्थियों के प्रतिनिधियों और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाने का अनुरोध करता है.’

क्या कम्युनिस्ट इन दिनों वही सहानुभूति महसूस करते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? साठ के दशक और इन दिनों के शरणार्थियों के बीच क्या अंतर है? क्या वर्तमान शरणार्थी विस्थापित नहीं हैं? इसका मतलब है कि एक युद्ध या उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने को मजबूर व्यक्ति एक शरणार्थी है.

कानून में संशोधन कर धार्मिक रूप से प्रताड़ितों को भारत की नागरिकता दी जाए

- कॉमरेड प्रकाश करात का डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश करात ने बंगाली शरणार्थियों की नागरिकता संबंधी विषय पर 22 मई 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखा.

उनका पत्र इस प्रकार है:

“इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान उन नागरिकों की समस्याओं की ओर ले जाना चाहता हूं, जिन्हें बड़ी संख्या में पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश बनने के बाद विषम और ऐतिहासिक परिस्थितियों के चलते अपने देश से भागना पड़ा. ऐसी परिस्थितियां जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था. उनकी स्थिति उन लोगों से अलग है जो आर्थिक कारणों के चलते भारत आए. हम मानवीय दृष्टिकोण की वकालत करते हैं. आपने स्वयं 2003 में राज्यसभा में नागरिकता के इस मुद्दे की वकालत की थी.”

पाकिस्तान में आदिवासियों और कम्युनिस्ट नेताओं पर अत्याचार

फसल का दो तिहाई हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में तेभागा आन्दोलन हुआ. इस आन्दोलन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया. नीचे इस तथ्य का उल्लेख है कि पूर्वी पाकिस्तान बनने के बाद वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और तेभागा आन्दोलन के आन्दोलनकारियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया. इस आन्दोलन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा द्वारा किया गया था. 1946-47 के बाद भी कुछ वर्षों तक यह आन्दोलन निरंतर चलता रहा.

“गांव के गांव अंधाधुंध जल गए, किसानों को बेरहमी से पीटा गया और प्रताड़ित किया गया. उन्होंने लूटपाट करके आतंक का माहौल बना दिया. संचाल की महिलाओं का बलात्कार हुआ. नाचोल पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस की प्रताड़ना के चलते 24 किसानों ने दम तोड़ दिया. नवाबगंज और राजशाही जेलों में अनगिनत किसान मारे गए.


आंदोलन के प्रमुख नेताओं जैसे इला मित्रा, जो तेभागा आंदोलन में संचालों का नेतृत्व कर रही थीं, उन्हें विभिन्न मामलों को लेकर प्रताड़ित किया गया. कई तरह की यातनाओं के चलते संचाल के किसानों को पश्चिम बंगाल में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा.”

(इला मित्रा ने पूर्वी पाकिस्तान में आजीवन कारावास झेला था, उन्हें जेल में बहुत यातनाएं दी गईं और अंततः 1954 में पैरोल पर रिहा कर दिया गया और उपचार के लिए वह कोलकाता आई. एक हिंदू और एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होने के नाते, मित्रा पाकिस्तान नहीं लौटीं और भारत में ही रहीं.)

(स्रोत : सुकुमार बिस्वास और हिरोशी सातो, रिलिजन एंड पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल: अ स्टडी ऑफ कम्युनल रिलेशंस (दोक्यो, 1993), ए.जे. कामरा, द प्रोलोंगड पार्टिशन एंड इट्स प्रोग्राम्स, टेस्टीमोनिस ऑन वोइलेस अगैस्ट हिंदूज इन ईस्ट बंगाल, 1946-64, (नई दिल्ली, 2000))

विस्थापितों को सम्मानपूर्वक नागरिकता दी जाए

गुलजारी लाल नंदा



...जब वह सुरक्षा विफल हो जाती है, जब उस देश में अल्पसंख्यक, जिनके लिए हमने अतीत के वर्षों में उस देश के साथ कुछ व्यवस्थाएँ की होती हैं, पीड़ित होते हैं, यदि वे व्यवस्थाएँ टूट जाती हैं और वहाँ के अल्पसंख्यक अत्याचार और क्रूर व्यवहार झेलने लगते हैं, तो उन क्रूर परिणामों को अंततः हमें भी सहना पड़ता है। यदि यह केवल पीड़ा का सवाल है, तो, उनकी पीड़ा और उनके दर्द से हमें अवगत कराया जा सकता है; हम असहाय रूप से देख सकते हैं क्योंकि हम उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ अधिक होता है, अर्थात् वे लोग पाते हैं कि उनके लिए वहाँ रहना संभव नहीं है। अर्थात्, उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है, उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। फिर, महोदय, स्थिति कुछ अलग हो जाती है। फिर वे लोग, अपनी जड़ों से उखड़ जाने, उनके घरों में आग लगा दिये जाने, उनसे आगजनी और लूटपाट किये जाने के कारण, पाते हैं कि उनके लिए वहाँ रहना असंभव है, और फिर वे भारत की ओर पालयन के लिए संघर्ष करते हैं, और परिणाम हमें प्रभावित करने लगते हैं। हम उनकी मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं और दूसरी बात, हम उनके आने के बाद क्या करें? यहाँ प्रश्न कुछ लोगों का नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े हिस्से का है। जब उन्हें वहाँ से भाग कर बेबस होकर यहाँ आना पड़ता है, तब क्या होता है?

श्री नंदा ने आगे कहा, “एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि हमारे पास एक खुला दरवाजा होना चाहिए और हर किसी को अंदर आने देना चाहिए, लगभग उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

(5 मार्च 1964 को राज्यसभा में तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा के भाषण का अंश)

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी बैठक में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अंजन दत्त ने कहा -

“हम बंगाली हिंदुओं, बौद्धों, इसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए नागरिकता के अनसुलझे मुद्दे को उठायेगे, जो भारत में विभाजन के बाद अमानवीय यातना के शिकार होने के बाद असम आये थे। उन्होंने कहा कि ये लोग अविभाजित भारत के नागरिक थे और उन्हें धर्म के आधार पर अत्याचार के बाद अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया था। एपीसीसी ने ऐतिहासिक वास्तविकता और मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए केंद्र से ऐसे सभी लोगों को नागरिकता देने का आग्रह किया है।”

स्रोत: आसाम कांग्रेस सीक्स सिटिजनशिप फॉर हिन्दू बंगाली, बुद्धिस्ट हू माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश

शरणार्थियों से बातचीत

आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के उपरांत नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच यह तय हुआ था कि वह अपने यहां अल्पसंख्यकों के हितों और उनकी धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करेंगे। तथ्यों के आधार पर शुरुआत से ही इस संधि और तत्कालीन सरकार की तुष्टिकरण का विरोध करने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन अल्पसंख्यकों के बारे में संसद में वर्णन किया कि “मैंने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित सभी वर्गों और स्थितियों को देखा है, उनमें से काफी लोग न तो कभी गरीबी देखे और न ही ऐसी जिंदगी चाहते थे, लेकिन आज वे बेघर हैं, वे निराश हैं, उनकी शारीरिक पीड़ा बहुत बड़ी थी लेकिन जो मुझे सबसे बुरा और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला महसूस हुआ, वह उन शरणार्थियों की नैतिक यातना थी, जिससे लाखों लोग गुजर चुके थे।”

उनकी यातनाएं तब भी जारी थी और आज भी जारी हैं। आज की परिस्थितियों का यदि हम विश्लेषण करें तो पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की एक भयावह तस्वीर हमें दिखाई पड़ती है। बंटवारे के 70 साल बाद पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हिन्दुओं, सिख, बौद्ध, इसाई, पारसियों के भारत आने का क्रम आज भी अनवरत रूप से जारी है। देश की राजधानी नई दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक कैंपों में रहते हैं। हम दिल्ली के मजनु का टीला और आदर्श नगर (निकट मजलिस पार्क) स्थित शरणार्थियों के कैंप को देखने पहुंचे, वहां रह रहे शरणार्थियों से बातचीत की। गौरतलब है कि इन कैंपों में रहने वाले लोग पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। अब भारत सरकार उन्हें नागरिकता संशोधन कानून (2019) के जरिये नागरिकता देने जा रही है। इस ऐतिहासिक निर्णय से उनके चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। कैंपों में रहने वाले शरणार्थियों का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक उनके सम्मान और उनके धार्मिक मान्यताओं की रक्षा सुनिश्चित करेगा। उनका कहना है कि इस फैसले ने हमारी जीने की मानसिक स्थिति को बल मिला है। अब हम उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। हमें मोदी सरकार ने एक नया जीवन दिया है, जाहिर है कि जिस दिन यह विधेयक पास हुआ, उस दिन सभी शरणार्थियों की उम्मीदों को एक नया आयाम मिला। उनके जीवन में यह कानून एक नया सवेरा लेकर आया है। उनसे बातचीत के दौरान जो बातें निकलकर सामने आईं वह इस नतीजे पर पहुंचने को विवश कर देती हैं कि इस फैसले में बहुत देर हो गई। नागरिकता संशोधन कानून का अज्ञानता भरे अंदेशों के आधार पर जगह-जगह हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों को इनके कैंपों में जाना चाहिए और उनकी यातनाओं को सुनना चाहिए। धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ना के शिकार हुए शरणार्थियों के लिए यह नागरिकता संशोधन कानून दीवाली और होली के त्यौहार से भी बढ़कर है। कानून पारित होने पर हिन्दू शरणार्थियों के कैंपों में खुशी की लहर है। हम शरणार्थियों के संघर्ष भरे जीवन से लेकर नागरिकता मिलने से उनके जीवन में आने वाले परिवर्तनों को लेकर बातचीत की है। उसके कुछ प्रमुख अंश:

क्र. सं.	नाम	स्थान
1.	राधे	सिंध
2.	सीताराम और गोमती	सिंध
3.	प्रेमजी	सक्कर जिला, सिंध
4.	ज्ञानदास	सिंध
5.	सुखनंद	सिंध
6.	मोहन और मंगल	सिंध
7.	सच्चा प्रह्लाद	सिंध
8.	रवि मास्टर	सिंध
9.	रामचंद्र	तांडो अल्हियार जिला, सिंध
10.	नेहरू लाल	सिंध
11.	मीरा देवी	सिंध
12.	कांजी ठाकुर	हैदराबाद जिला, सिंध

1. राधे



पिछले सात वर्षों से यहां कैम्प में रह रहे राधे अपने बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं कि वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत से यहां भारत आए थे. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हिन्दुओं पर हो रहे तमाम तरह के अत्याचारों पर कोई सुनवाई नहीं होती है और उनके साथ दोगम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता था. जबरन धर्म-परिवर्तन, मंदिर जाती हुई महिलाओं पर छीटाकशी करना आम बात थी. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की पढ़ाई और रोजगार की बात तो मानो बेमानी थी. राधे बताते हैं कि अब वे अपने वतन में आ गए हैं, अपने भारत देश में आ गए हैं तो बिना भय के जीवन व्यतीत कर सकते हैं. राधे का कहना था कि अपना देश और अपनी मिट्टी हमेशा अपनी ही होती है. हम भले पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन हम हिन्दुओं का तो एक ही देश हिंदुस्तान है. इसलिए अब हम यहीं रहेंगे और देश के विकास में अपनी सहभागिता देंगे. राधे ने कैम्प के पास ही मोबाइल के कवर, चार्जर और ईयरफोन की छोटी सी दुकान खोली है. राधे 'डिजिटल इंडिया' में अपना सहयोग कर रहे हैं तथा 'फ़ोन पे' व 'पेटीएम' जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल भी करते हैं. उनका यह मानना है कि भारत में सुकून से दो वक्रत की रोटी मिल जा रही है, जो पाकिस्तान में मिलने वाली जलालत भरी जिंदगी से लाख गुना बेहतर है. अपने सुनहरे भविष्य के प्रति आश्वस्त राधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि 'अब उन्हें भारत की नागरिकता भी मिल जाएगी. जिसके बाद यकीनन हमारा आने वाला जीवन सुरक्षित और संरक्षित रहेगा'.

2. सीताराम और गोमती



इस शरणार्थी कैम्प में हमने लगभग 6 वर्षों से रह रहे सीताराम और गोमती नामक दंपति से भी पाकिस्तान में बिताए गए उनके जीवन और इस कानून से उनके जीवन में आने वाले बदलावों को लेकर बातचीत की. गौरतलब है कि 2013 में वे पूरे परिवार सहित पाकिस्तान के सिंध प्रान्त से भारत आ गए थे. उनके परिवार में 8 सदस्य हैं, परिवार के मुखिया सीताराम पाकिस्तान में हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति पर कहते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें एक नागरिक के तौर पर कभी सम्मान नहीं मिला. वहां रहने वाली बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यकों से नफरत करती है. उन्हें भय के माहौल में अपना जीवन काटना पड़ता है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को काफिर बोलकर उनका उत्पीड़न किया जाता है. वहां के स्कूलों में हिन्दुओं के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है. धार्मिक उत्पीड़न पर सीताराम का कहना है कि मंदिरों को तोड़ देना और हमारे देवी-देवताओं पर भट्टी टिप्पणी करना वहां सामान्य घटना थी. स्पष्ट रूप से सीताराम कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके धर्म की भी रक्षा की है. हमारी बातचीत सीताराम की पत्नी गोमती से भी हुई. वे कहती हैं कि पाकिस्तान में न तो हमारे बच्चों को पढ़ने दिया गया और ना ही कोई काम करने दिया गया. हमारी पूरी जिंदगी को नरक जैसा बना दिया. उन्होंने बताया कि जब उनके सामने सनातन धर्म से जुड़े चिन्हों को छिन्न-भिन्न किया गया और गौ 'माता' को काट दिया गया. इन घटनाओं से उनका परिवार बहुत आहत और दुखी हुआ. जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वह अपने देश वापस आ जाएंगी. कैम्प के जीवन को लेकर वह कहती हैं कि गरीबी में तो रहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, वैसी जिंदगी से मर जाना ही बेहतर होता. जो गिने चुने

लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करते हुए वह कहती हैं कि 'हम हिन्दू हैं, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुए हैं और तब जाकर हम अपने देश वापस आए हैं. अब अगर हमें देश की नागरिकता मिल जाएगी तो हमारा बाकि जीवन संवर जाएगा एवं भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा. इसलिए आप इसका विरोध मत करिए'. इस दौरान गोमती ने एक घटना भी बताई कि जिस दिन दिल्ली में कांग्रेस की देश बचाओ रैली हो रही थी, उसके एक दिन पहले रात में कैम्प के सामने तीन बसें रुकीं. जब गोमती ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्हें बताया गया कि मोदी सरकार को गिराने के लिए सोनिया गांधी की रैली में वे लोग जा रहे थे. इसके बाद उन लोगों ने गोमती से बहस की और उन्हें डराने-धमकाने लगे. यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पक्ष लिया और विपक्षी दलों का विरोध कर दिया. यह सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल कितनी नफरत करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा उनके गले से नीचे नहीं उतरती है.

3. प्रेमजी



पाकिस्तान के सिंध प्रान्त के सक्कर जिले से कुछ दिनों पूर्व ही प्रेमजी (नेत्रहीन) अपने परिवार सहित भारत आए हैं. पाकिस्तान से बस द्वारा अटारी और अटारी से दिल्ली आने वाले इस परिवार के लगभग 12 लोग शरणार्थी कैम्प के पास रह रहे हैं. समीप के गुरुद्वारे में खाना खाकर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर परिवार के मुखिया प्रेमजी को जब यह बताया गया कि भारत सरकार ने नागरिकता कानून पास कर दिया है, यह सुनकर उनके मन में एक विश्वास जगा कि अब देर-सबेर उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी. उन्होंने कहा भारत में हमें स्वीकार किया है, हमारे सम्मान की चिंता की है यही मेरे लिए सुख की बात है. अपनी समस्याओं को विस्तार से बताते हुए प्रेम कहते हैं कि पाकिस्तान में हिन्दुओं को अछूत माना जाता है. वहां यदि किसी मुस्लिम बच्चे को कोई अल्पसंख्यक (हिन्दू, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी) समुदाय का व्यक्ति हाथ भी लगा दें, तो लोग भट्टी गाली देते हैं और यदि विरोध किया तो शायद हमारी जान भी न बचे. अक्सर बिना किसी वाजिब कारण के वहाँ के बहुसंख्यक हमसे मारपीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं. आए दिन हिन्दुओं की बहू-बेटियों को उठाकर ले जाना तो आम बात है. बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जाती है. प्रेम गत कई वर्षों से शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे थे. इसलिए वह पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए. वे कहते हैं कि हमें भारत आने के लिए भी झूठ बोलना पड़ा कि हम लोग तीर्थ पर जा रहे हैं. यदि उन्हें यह पता चल जाए कि हम लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो वे हमें कभी नहीं आने देते और जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन भी करा देते. जब उनसे पूछा गया कि अपना घर छोड़कर आप लोग दिल्ली आ गए याद नहीं आती घर की? इसपर बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रेम ने बताया कि एक चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं छोड़ती, हम अपना घर छोड़कर आए हैं. ये फैसला करना कठिन था, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था. पूरी जिन्दगी हमने अपने स्वाभिमान और धार्मिक मान्यताओं के साथ समझौता किया है, लेकिन अब भरोसा है कि हम भी यह गर्व के साथ कह पाएँगे कि हम भारतवासी हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे.

4. ज्ञानदास



इसी कड़ी में हम ज्ञानदास के घर पहुंचे, इनकी चर्चा आज देशभर में है। साल 2013 में अपने परिवार सहित पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद जिले को छोड़कर आने वाले ज्ञानदास के यहां एक लड़की का जन्म उसी दिन हुआ, जिस दिन राज्यसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञानदास ने अपनी पोती का नाम 'नागरिकता' रख दिया। उन्होंने बताया कि जब भी वह 'नागरिकता' को देखेंगे तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साहसिक फैसले की याद आएगी और हर बार वे प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देंगे। इस बिल के क्रानून बनने के बाद ज्ञानदास भी भारत के नागरिक बन जाएंगे। भविष्य में भारत सरकार से उन्हें क्या उम्मीद है? इस सवाल पर ज्ञानदास कहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल नागरिकता का ही था। अब इसके बाद हमारी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी। अब हमारे बच्चों को भी पढ़ने के लिए स्कूल, इलाज के लिए अस्पताल जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। नौकरी और रोजगार संबंधी परेशानियों का निवारण भी हो जाएगा। इस बिल के विरोध में खड़े होने वालों से वो अनुरोध करते हैं कि 'हमने पाकिस्तान में बहुत अत्याचार व प्रताड़ना झेली है। आप हमारे मानवाधिकारों की भी चिंता करिये, आप हमारे भाई-बन्धु हैं, हमारी पीड़ा को समझिए, हम हिन्दुस्तानी ही हैं। अगर हमें नागरिकता मिल जाएगी तो हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल जाएगी।'

5. सुखनंद



इन परिवारों से मिलते और इनका दुःख-दर्द समझते हुए हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात शरणार्थी कैम्प के प्रधान सुखनंद से हुई। इनसे हमारा पहला सवाल यही था कि किस प्रक्रिया के तहत आप प्रधान चुने गए हैं? दरअसल, हम एक शरणार्थी कैम्प के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझना चाहते थे। प्रधान सुखनंद ने बताया कि चुनाव जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, आपसी सामंजस्य और सहमति से यहां के लोगों ने उन्हें 'प्रधान' की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बताया कि मजनू के टीले स्थित शरणार्थी कैम्प में 135 परिवार रहते हैं और करीब 800-900 लोग इन कैम्पों में रहते हैं। इसके बाद सुखनंद ने पाकिस्तान से भारत आने की यात्रा का भी विस्तार से वर्णन किया। 2013 में धार्मिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद सुखनंद अपने परिवार सहित 483 हिन्दुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान से वापस भारत (दिल्ली) आ गए। सुखनंद मूलतः पाकिस्तान के सिंध में रहते थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 2011 में लगभग 150 हिन्दू पाकिस्तान छोड़कर भारत में शरण लेने आए थे। वे बताते हैं कि बंटवारे के समय पाकिस्तान में हिन्दुओं की जनसंख्या करीब 2 करोड़ थी, जो आज सिर्फ 20 लाख तक सीमित रह गई है। पाकिस्तान में तलवार की नोक पर जबरन धर्मांतरण करवा दिया जाता है। अपने परिवार की असहनीय पीड़ा को देखते हुए सुखनंद ने यह कठोर फैसला किया कि अब वे पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। सुखनंद कहते हैं कि वहां के अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुताबिक रहना पड़ता है। अल्पसंख्यकों की धार्मिक प्रथाओं में अड़ंगा लगाना या फिर उन्हें लेकर टीका-टिप्पणी करना पाकिस्तान में सामान्य है। हिन्दुओं को अंतिम संस्कार करने में भी बाधा उत्पन्न की जाती है। सुखनंद के मुताबिक हिन्दुओं से कहा जाता है कि तुम लोग अपने देश जाओ। ये

(पाकिस्तान) तुम्हारे लिए नहीं है. शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए सुखनंद ने बताया कि पाकिस्तान के विद्यालयों में कलमा पढ़ाने की प्रथा है, जिसे अल्पसंख्यकों के बच्चों को भी जबरन पढ़ने पर मजबूर किया जाता है. लड़कियों को पढ़ाने का मतलब उनके अपहरण और धर्मांतरण को आमंत्रित करना है. सुखनंद कहते हैं कि 14-15 साल की छोटी-छोटी लड़कियों को मुसलमान लड़के अपने साथ जबरन ले जाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करके उनसे निकाह कर लेते हैं. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की परेशानियों से पाकिस्तान के शासन-प्रशासन का भी कोई लेना-देना नहीं है. कोर्ट-कचहरी से लेकर पंचायत तक में अल्पसंख्यकों की कोई सुनवाई नहीं होती है. इसके अलावा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का कोई नेता भी नहीं होता है और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को वोट के लिए अलग पंक्ति होती है, उनकी वोटिंग अलग से होती है. यह पूछने पर कि अब जब मोदी सरकार ने नागरिकता संबंधी कानून बना दिया है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सुखनंद बताते हैं कि हमारे लिए तो यह दीवाली और होली की खुशियों से भी ज्यादा है. केंद्र की मोदी सरकार के इस निर्णय से अब हमारे बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे तथा डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे और पुलिस व फ़ौज में भर्ती होकर देश की सेवा भी कर सकेंगे. इस कानून के विरोध में खड़े लोगों से सुखनंद कहते हैं कि 'मुसलमानों के पास धर्म के अधार पर लगभग 52 देश हैं. हिन्दुओं के लिए तो सिर्फ हिन्दुस्तान ही बचा न? हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि यहां रहने वाले मुस्लिमों को हटाओ और हमें बसाओ. हम तो बस इतना कह रहे हैं कि अगर हम पीड़ितों को कुछ मिल रहा है, तो आप से प्रार्थना है कि उसका विरोध मत करिए. हमने बहुत प्रताड़ना झेली है. हमसे नफरत नहीं, हमें अपने गले लगाइए. हम प्यार और इज्जत चाहते हैं'. कैम्प में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूछे जाने पर सुखनंद ने बताया कि जब हम शुरू-शुरू में आए थे तब बच्चों को पहले पढ़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. क्योंकि, उनके पास कागज़ात नहीं हुआ करते थे. पिछले दो साल में ज्यादातर परिवारों का आधार कार्ड बना है, जिससे पास के ही सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं. सरकारी विद्यालयों के अलावा बच्चों को कैम्प में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र और मंदिर में भी शिक्षा दी जा रही है. बिजली-पानी को लेकर सुखनंद ने बताया कि पानी तो टैंकर से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से वे लोग बिना बिजली के हैं. कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सोलर लाइट उपलब्ध कराए जाने से कुछ परिवारों की बिजली समस्या कुछ हद तक समाप्त हो गई है. सुखनंद को उम्मीद है कि जिस तरह से नागरिकता कानून संबंधी इतना बड़ा फैसला हुआ है, तो धीरे-धीरे ही सही बिजली की दिक्कत भी दूर हो जाएगी. इसके अलावा शरणार्थी कैम्पों की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी स्वयंसेवी संस्थाएं प्रयासरत हैं. महिलाओं को सिलाई मशीन द्वारा कढ़ाई और बुनाई की ट्रेनिंग दी जाती है. कुछ परिवारों को सिलाई मशीन भी दी गई है, जिसके माध्यम से वे कुछ काम करके अपने घर का खर्च भी चला रही हैं. इसके अलावा रोज़गार के सवाल पर प्रधान सुखनंद ने बताया की सब्जी बेचकर, मोबाइल के कवर और चार्जर की छोटी-छोटी दुकानें लगाकर तक्ररीबन 250 से 300 रूपए परिवार के सदस्य रोज कमा लेते हैं. सुखनंद ने बताया कि कई सालों से वे कच्चे मकान में रह रहे थे, लेकिन अब धीरे-धीरे उन्होंने पक्का मकान भी बनाना शुरू कर दिया है. उनके अलावा कैम्प में रह रहे दूसरे लोग भी अब मिट्टी के घरों को छोड़कर ईट और सीमेंट के मजबूत घर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं.

6. मोहन और मंगल



Mangal

मोहन के परिवार में कुल 9 सदस्य हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद, बेरोजगारी, जबरन धर्म-परिवर्तन, अशिक्षा के अलावा नागरिक अधिकारों के दमन के कारण 7 वर्ष पहले मोहन पाकिस्तान में अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान की नागरिकता मिलने के बाद उनका परिवार अब सुरक्षित ढंग से अपना जीवन जी सकेगा और प्रगति कर सकेगा।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत आए मंगल महाराज के परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। अपने परिवार सहित लगभग महीने भर पहले पाकिस्तान से आने वाले मंगल महाराज की समस्या भी धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक थी। पाकिस्तान में मंगल महाराज के बच्चों को जबरन कुरान पढ़ाया जाता था, जिहाद की बात की जाती थी। इसके अलावा रोजगार को लेकर भी मंगल महाराज ने कहा कि दिनभर खेतों में काम कराने के बाद जमींदार मजदूरी भी नहीं देते थे। कभी-कभी अगर थोड़ी बहुत मजदूरी मिल भी जाए तो, क्षेत्रीय मुस्लिम दबंग उसे छीन लेते थे। इन सब वजहों से मंगल महाराज ने अपने परिवार सहित हिन्दुस्तान आने का फैसला किया।

7. सच्चा प्रहलाद

पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए शरणार्थी सच्चा प्रहलाद अपने परिवार सहित भारत में आए थे। नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर जब हमने उनसे बात की, तो उनकी आंखें नम हो गईं। अपने दुखों को बयाँ करते हुए सच्चा प्रहलाद ने बताया कि जिस तरह से 32 दांतों के बीच जीभ रहती है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत है। कभी हम दाएं से कटते तो कभी बाएं से, लेकिन हर हाल में कटते हमीं थे। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में हमारे दुखों का अंत कभी नहीं होगा, लेकिन ईश्वर सबकुछ देख रहा था। मोदी सरकार ने न सिर्फ हमारे दुखों का अंत किया है, बल्कि हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया है। हमें अब इज्जत भी मिलेगी और हमारे सर पर छत भी होगी। हम अब भारतवासी हैं।

8. रवि मास्टर



पाकिस्तान के सिंध से आए रवि मास्टर, पाकिस्तान में अध्यापक थे। इनकी अंग्रेजी अच्छी है। रवि मास्टर यहां कैम्पों में अध्यापन का काम कर रहे हैं और भारत में काफी खुश हैं। नागरिकता संबंधी सवाल पर रवि मास्टर ने कहा कि एक बार शरणार्थियों का पहचान पत्र बन जाए तो उनके बच्चे पढ़ सकें और अपने जीवन में व्यापक सुधार लाने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इस बिल का विरोध कर रहे लोगों को रवि मास्टर कहते हैं कि 'हम आप के ही देश के हैं और आपस में हम सब भाई-बहन हैं। सालों बाद हमें यह खुशी नसीब हुई है, आपसे निवेदन है कि इसका विरोध मत करिए।' कैम्प की मूलभूत समस्याओं का जिक्र करते हुए रवि मास्टर ने कहा कि 'सर्दियों में तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन गर्मियों में समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि बिजली नहीं रहती है'।

9. रामचंद्र



शरणार्थी कैम्प में घुसते ही हमारी मुलाकात रामचंद्र से हुई. रामचंद्र पाकिस्तान के टंडो अल्ह्यार, सिंध के रहने वाले थे. लगभग 1 वर्ष पूर्व अपने 5 बच्चों के साथ रामचंद्र पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए. जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लाए? इसके जवाब में रामचंद्र ने बताया कि पाकिस्तान में जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे, वो सब खुद और बच्चों को भारत लाने में खर्च हो गए. अब यहां रहकर कुछ पैसे जोड़कर जल्द ही पत्नी को बुलाऊंगा. क्योंकि वीजा और पासपोर्ट का खर्च भी बढ़ गया है.

पाकिस्तान में क्या-क्या परेशानी होती थी? इस सवाल पर रामचंद्र ने कहा कि हमारे मन में हमेशा असुरक्षा की भावना बनी रहती थी. काफिर बोलकर आपके ऊपर कब, कौन और कैसे हमला कर देगा, यही सोच-सोचकर हम डरे रहते थे. जाहिर है अगर वो देश हमारा होता तो हमें असुरक्षा की भावना क्यों रहती?

हमारे आँखों के सामने ही बस्तियों से हिन्दू लड़कियों को उठा कर ले जाते थे. इसपर जब हमने सवाल किया कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? रामचंद्र ने जो जवाब दिया वह हैरान करने वाला था. उन्होंने बताया कि 'पुलिस भी उनकी और लोग भी उनके, उनको कहां कोई पकड़ने वाला था. वे अपनी मर्जी के मालिक थे. अब हम गरीबों के पास न तो रूपए होते थे और न ही हमारी कोई सुनवाई होती थी. हम वहाँ एक जानवरों की तरह महसूस करते थे.' पाकिस्तान में अपनी जीविका चलाने के लिए मजदूरी करने वाले रामचंद्र यहाँ भी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन सुकून उन्हें भारत में ही है और उन्हें उम्मीद है कि आगे रोजगार के नए अवसर उन्हें प्राप्त होंगे. वे बताते हैं कि उधर (पाकिस्तान) में मजदूरी के पैसे भी कभी देते तो कभी खाली हाथ ही लौटना पड़ता था, भारत में ऐसा नहीं है. यहाँ के लोग हमें अपमानित नहीं करते, यही सबसे बड़ा सुख है.

बच्चों की पढ़ाई के सवाल पर वे कहते हैं कि पढ़ाने के लिए ही तो पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आए हैं. अब बच्चे पढ़ रहे हैं. उनके स्वास्थ्य की चिंता के लिए हफ्ते में एक बार डॉक्टर भी कैम्प में आ जाते हैं और दवा भी उपलब्ध करा देते हैं. कुल मिलाकर रामचंद्र ने यह माना कि पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में जीवनयापन करना सुगम एवं सम्मानजनक है.

10. नेहरू लाल



रामचंद्र से बातचीत के बाद हमारी मुलाकात शरणार्थी शिविर के प्रधान नेहरू लाल से हुई. उन्होंने बताया कि 2013 में 480 लोगों के जत्थे के साथ पाकिस्तान छोड़कर वे भारत आए और इसी शरणार्थी कैम्प का हिस्सा बन गए.

नेहरू लाल के दो भाई और उनकी दो बेटियां अभी भी पाकिस्तान में ही हैं, जिन्हें वे जल्द से जल्द भारत बुलाने की व्यवस्था में लगे हैं. पाकिस्तान छोड़कर भारत आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? इसपर नेहरू लाल आंकड़ों का हवाला देते हुए कहते हैं कि 23 प्रतिशत हिन्दू आबादी घटकर 3 प्रतिशत रह गई है, इससे बड़ा कारण हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है. क्या 20 प्रतिशत आबादी को आसमान खा गया या फिर धरती निगल गई? इस बाबत न तो कोई सवाल पूछा जाता है और न ही कोई बात होती है. वहां

अगर अल्पसंख्यक समुदाय किसी होटल या ढाबे में चाय पीता है, तो उसे अपने बर्तन खुद लाने होते हैं तभी आपको चाय मिलेगी. हमने जो बुरी जिन्दगी वहां गुजारी है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है.

एक घटना का जिक्र करते हुए नेहरू लाल ने बताया कि कराची से एक बार तीन लड़कियों को उठा लिया गया. इसका विरोध करने के लिए हम लगभग ढाई हजार हिन्दू जुटे, हमने रैली निकाली और प्रदर्शन भी किया. आखिर में अदालत में तीन लड़कियों को बुर्का पहनाकर लाया गया और फर्जी तरीके से उन्होंने इस्लाम कबूलने की बात कर अदालत की आंखों में धूल झोंक दिया गया. हमारे सामने यदि बुर्का हटाया जाता तभी हम पहचान सकते थे कि ये हमारी ही लड़कियां हैं या नहीं? जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिमों को भी नागरिकता दी जानी चाहिए. इसपर नेहरू लाल कहते हैं कि वहां प्रताड़ना अल्पसंख्यकों को ही झेलनी पड़ती है.

जब नेहरू प्रधान से पूछा गया कि अब आप जैसे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी. अपना भविष्य आप कैसे देखते हैं? नेहरू लाल ने जवाब देते हुए कहा कि 'अपने देश में तो भविष्य अच्छा ही होगा. अंधकार और अनिश्चितता तो पाकिस्तान में थी. हमने यहीं अपनी जिंदगी गुजारी है. अब नागरिकता मिल जाएगी तो हमारे बच्चे भी पढ़-लिखकर नौकरी करेंगे.' जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी. हम मेहनत करेंगे और अब अपने देश में ही रहेंगे. मोदी सरकार ने हमें अपनी गोद में उठाया है, निश्चित रूप से यह सरकार हमारे लिए गंभीर प्रयास करेगी और कर रही है.

इस दौरान नेहरू लाल ने हमें यह भी बताया कि इस शरणार्थी कैंप में तकरीबन 200 परिवार और लगभग 900 लोग रहते हैं. यहां कैंप में ही काली माता और हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है, जहां रोज शाम 7 बजे लोगों के सहयोग और सामूहिक भागीदारी से पूजा-आरती संपन्न होती है. शिवरात्रि पर विशेष आयोजन होता है क्योंकि हम (480 लोगों के जत्थे के साथ) 2013 की शिवरात्रि को ही हिंदुस्तान आए थे.

हमने सवाल किया कि क्या आप ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तानी अधिकारियों को बताया था कि आप लोग भारत जा रहे हैं और अब वापस नहीं आएंगे? जवाब देते हुए नेहरू लाल ने कहा कि 'हम टूरिस्ट वीजा पर हरिद्वार और तीर्थ यात्रा की बात कहकर भारत आ गए थे. अगर पाकिस्तानियों को यह पता चल जाए कि हम लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं तो वे हमारा पीछा करेंगे. हमारे परिवार को प्रताड़ित करेंगे'.

11. मीरा देवी

2014 में अपने 9 सदस्यों के परिवार के साथ पाकिस्तान की धरती को अलविदा कहकर भारत आने वाली मीरा देवी पाकिस्तान में हिन्दुओं के ऊपर किए जा रहे बर्बरतापूर्वक व्यवहार का चिट्ठा खोलने लगती हैं. वे बताती हैं कि वहां के जमींदार अपने यहां खेती और मजदूरी कराने के बाद पैसे नहीं देते थे. यदि हम 100 रूपए का काम करते थे तो हमें 20 रूपए ही मिलते थे. मीरा देवी के पति धनराज यहाँ पर पल्लेदारी का काम करते हैं और 300 से 400 रु. प्रति दिन कमा लेते हैं. मीरा देवी ने कहा कि हमें तो होली और दीवाली का कुछ पता ही नहीं चलता था. कब त्यौहार आया और कब चला गया कुछ पता नहीं चलता था. त्यौहारों का कोई शोरगुल नहीं, कोई बाजार नहीं, सब कुछ सूना-सूना सा रहता था.

बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की कोई चर्चा नहीं होती थी। जो कुछ बच्चे पढ़ने जाते भी थे, उन्हें लेकर मन में हमेशा यही डर बना रहता था कि वे घर वापस आ पाएंगे या नहीं। मेरे खुद के ताऊ की लड़की को पाकिस्तानी मुस्लिम उठा ले गए। उसका कुछ भी पता नहीं चला। इस घटना ने हमें झकझोर दिया कि अब हम यहां (पाकिस्तान) नहीं रहेंगे। पति धनराज समेत 4 बेटियों और 3 बेटों के साथ शरणार्थी शिविर में रह रही मीरा देवी बताती हैं कि व्हाट्सएप पर एक दूसरे की फोटो देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। वह कहती हैं कि वहां की एक रोटी से ज्यादा अच्छी यहां की आधी, लेकिन सुकून की रोटी है। क्योंकि शांति और सुरक्षा यहीं हैं। आने वाले वक़्त में आप भारत की नागरिक हो जाएंगी, यह सुनकर मीरा देवी कहती हैं कि भगवान के बाद किसी ने हमारी सुनी है तो वो मोदी ही हैं। अब हमें बस उनका ही सहारा है। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।

12. कांजी ठाकुर



कच्ची-कच्ची झोपड़ियों और रास्ते को पार करते हुए हम सिंध के हैदराबाद से भारत आने वाले कांजी ठाकुर के घर पहुंचे।

कांजी ठाकुर से परिचय होने के बाद हमने उनसे पाकिस्तान से जुड़े अनुभवों पर बात की। कांजी ठाकुर ने बताया कि वे 2 साल पहले 2017 की जुलाई में भारत आए थे। कुल 28 लोगों के साथ पाकिस्तान से भारत आने वाले कांजी ठाकुर ने बताया कि पाकिस्तानी जमींदारों (मुस्लिमों) ने उनकी कई बीघे जमीन पर कब्ज़ा कर लिया और उन्हें दर-दर भटकने को मजबूर कर दिया।

वो कौन सी घटना थी जिसने आपको पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया? इस पर वे कहते हैं कि वैसे तो अनेकानेक घटनाएं घटी हैं लेकिन, एक घटना जो उन्हें आज भी याद है। उन्होंने अपनी मेहनत और एक-एक रुपए जोड़कर मारुति ओमनी कार ली थी। दिनभर खुद चलाते और सवारियों से जो पैसे मिलते उससे घर का खर्च निकालते थे। इसी बीच कांजी ठाकुर को यह अंदेशा हो गया था कि उनके पीछे कुछ ऐसे लोगों की नजर पड़ गई है जिन्हें उनकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। वे और कोई नहीं बल्कि मुस्लिम जमींदार ही थे। एक दिन अपने सवारियों को छोड़कर कांजी ठाकुर अपने घर को लौट रहे थे तभी कुछ नकाबपोशों ने उनका रास्ता रोक लिया। वे हाथ में असलहा लिए कांजी ठाकुर को धमका रहे थे। कांजी ठाकुर अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। कांजी ठाकुर ने यह फैसला कर लिया था कि अब उन्हें इस देश में नहीं रहना है, अपने पूरे परिवार के साथ कांजी ठाकुर भारत चले आए। उन्होंने कार के साथ अपनी एक तस्वीर भी हमारे साथ साझा की। वे बताते हैं कि पाकिस्तानी गुंडों के चलते अपनी कार बेचना उनके लिए दुखदायी था। अब हम भारत आ गए हैं और यही हमारी मातृभूमि है। अब हमें कहीं नहीं जाना। हम ठोकर खाकर अपने देश आए हैं और अब यहीं पर अपना बाकि जीवन गुजारना चाहते हैं।

पाकिस्तान में हिन्दू महिलाओं की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कांजी ठाकुर कहते हैं कि सिन्धी मुसलमान अक्सर हिन्दुओं की लड़कियों को अगवा कर जबरन उनसे निकाह कर लेते हैं, जबरदस्ती धर्म-परिवर्तन करा देते हैं। हमारे यहां तो यह स्थिति थी कि अपनी बेटियों को हम घर पर अकेले छोड़ते ही नहीं थे कि कब कोई

बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अगवा न कर ले. इसके अलावा हिन्दुओं के त्यौहारों पर भी खासा परेशान किया जाता था. गुलाल और पटाखे को लेकर भी वहां के बहुसंख्यक हमें परेशान करते और हमारी बहु-बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करते थे.

नागरिकता क़ानून पर कांजी ठाकुर ने कहा कि अब हम हजारों समस्याओं से आजाद हुए हैं. यह आजादी हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दिलाई है. इस जन्म में तो क्या हम आने वाले सात जन्मों तक भी प्रयास करें तो इस सरकार के कर्जदार ही रहेंगे. इस दौरान कांजी ठाकुर ने हमें अपने पोते जगदेव से मिलवाया. जगदेव ने अपने हाथों से बनाई चित्तकारी हमें दिखाई जिसके बाद हमें यह महसूस हो गया कि प्रतिभाएं कभी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती हैं.



नादिया जिले के शरणार्थी शिविर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

शरणार्थी शिविर मजलिस पार्क, नई दिल्ली



शरणार्थी शिविर मजनू का टीला, नई दिल्ली



नागरिकता संशोधन कानून से मिलेगा गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर

यह संशोधित विधेयक (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा.

लंबे समय से अन्याय का दंश झेल रहे इन अल्पसंख्यक विस्थापितों को आज मोदी सरकार के प्रयास से न्याय प्राप्त हुआ है.

- श्री जगत प्रकाश नड्डा (कार्यकारी अध्यक्ष, भाजपा) राज्य सभा में 11 दिसम्बर 2019



शोध और डिजाइन टीम

आदर्श तिवारी // अभय सिंह // मनुजम पांडे // ऋषभ मल्होत्रा // अमन शर्मा // अजित कुमार सिंह




Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation


**Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation**

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

  @spmrfoundation

Phone:011-23005850



“Let us not forget that the Hindus of East Bengal are entitled to the protection of India, not on humanitarian consideration alone, but by virtue of their sufferings and sacrifices, made cheerfully for generations, not for advancing their own parochial interests, but for laying the foundations of India’s political freedom and intellectual progress. It is the united voice of the leaders that are dead and of the youth that smilingly walked up to the gallows for India’s cause that calls for justice and fairplay at the hands of Free India of today.”

-Dr. Syama Prasad Mookerjee
in Parliament on his resignation as Minister of Industry and Supply,
19th April, 1950

Published By:

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

9, Ashoka Road New Delhi - 110001

E-mail: office@spmrf.org, Phone: 011-23005850